

प्रेषक,  
भूपेन्द्र बहादुर सिंह  
अनुसचिव।  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,  
मुख्य वन संरक्षक /  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 14-जून, 2017

विषय- आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (एस०एच०-62) किमी० चैनैज 81.665 पर ग्राम कर्नालपुरा के खसरा सं०-155 में वी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्यक् मार्ग के निर्माण हेतु 0.0771 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवैज्ञानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2084/आगरा/11016/2015, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- विषयगत प्रकरण के परीक्षणोपरांत निम्न कभियां दृष्टिगोचर हुई, जिसके साबंध में आख्या /अभिलेख अपेक्षित है:-

- (1) प्रस्ताव के पृष्ठ-29 पर रक्षित भूसंदर्भित डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नहीं है।
- (2) प्रस्ताव के पृष्ठ-37 पर रक्षित प्रमाण पत्र डी०एफ०ओ० के हस्ताक्षर नहीं है।
- (3) प्रस्ताव के पृष्ठ-71 पर रक्षित प्रमाण पत्र, जो डी०एफ०ओ० द्वारा हस्ताक्षरित है, में यह नहीं अंकित है कि किस गाटा नं०/खसरा नं० की भूमि प्रबंधन की दृष्टि से सी०ए० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है?
- (4) प्रस्ताव में वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- (5) प्रस्ताव के पृष्ठ-72 पर रक्षित लैण्ड शेड्यूल डी०एफ०ओ० द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और न तो प्रदेश/निकासी व मध्य की भूमि का अलग-अलग, लम्बाई/चौड़ाई में विवरण है?

अतः इस साबंध में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित सूचनाएं एवं तत्संबंधी अभिलेख यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनुसचिव।

2/14  
47  
19/6

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 2675 /आगरा/11016/2015, दिनांक, लखनऊ, जून 19, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र०शासन द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्रभाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र०शासन द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) वी०पी०सी०एल०, प्लाट डी-1, रोड नं०-26, इण्डिस्ट्रियल एरिया, साइट-बी, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा  
पत्रांक- 5411/14-2-2017-800 दिनांक- 21/6/17  
इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त आगरा वृत्त का निदेशक को  
कर ताकाय इस कार्यालय को उपलब्ध करे।

(वाई०एस०/शेषकुमार)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन संरक्षक  
आगरा वृत्त, आगरा